न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :— 42/2021

वादीगण :—

1. राणाराम पुत्र श्री हिम्मताराम जाति सीरवी , निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

2. भूण्डिया उर्फ भूण्डाराम पुत्र राणाराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगणः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

: दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट :

उपस्थित :— वादीगण की ओर से गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से सरकारी पेरोकार

निर्णय दिनांक 10/7/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. मगरा आयी हुई है। जिस पर वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा व काश्त चला रहा था। वादी संख्या 1 व 2 ने सम्वत् 2034 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रार्थना पत्र पेश किया कि खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा की भूमि नियमन की जावें, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा की भूमि को वादी संख्या 1 व 2 के नाम नियमन करने से पूर्व कब्जे की जांच की गई। तत्पश्चात कब्जे की जांच करने के बाद उक्त भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. मगरा की किस्म को परिवर्तन कर वादी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि 10 बिस्वा दर्ज करने की सनद दिनांक 28.12.1978 को जारी कर दी गयी। प्रतिवादी के पास कई बार वादी ने अपने पट्टा में जारी किये गये सनद के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भूमि को अपने नाम से दर्ज कराने हेतु आवेदन

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्र भी दिये लेकिन आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में भूमि का अमल बरामद नही किया गया, इस कारण वादीगण इस भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी प्रतिवादी उक्त खसरान् की भूमि का वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद नहीं कर रहे है जबकि वादी के पक्ष में नियमन/समद जारी की हुई है। वादीगण सम्वत् 2012 से पहले से ही उक्त खसरान पर काबिज है तथा मौके पर बाड़ा बना हुआ है। तथा चारो तरफ चार दीवारी की हुई है। मौके पर कब्जा है, अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा को खातेदारी घोषित की जावें। एवं खातेदारी भूमि की स्थाई निषेधाज्ञाा जारी की जावें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो जबाव के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै0 मु0 गोचर पर वादीगण का कब्जा है। वाद पद संख्या 3, 4, 5 वादी स्वंय साबित करे। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा गै0 मु0 गोचर है, जो प्रतिबंधित भूमि है। वादीगण को सनद जारी की हुई है। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रदर्श–1 खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2016 खसरा नम्बर 1758 रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा गै0 मु0 मगरा, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079, खसरा नम्बर 1758 रकबा 14.6834 हैक्टेयर गै0 मु0 गोचर तथा प्रदर्श–3 फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 पेश है।

तारीख पेशी 28.09.2021 को वादीगण की तरफ से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 102 देगा। 15 बिस्वा के खतौनी बंदोबस्त जारी की हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1758 की किस्म गै0 मु0 मगरा दर्ज है। लेकिन जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में खसरा नम्बर 1758 रकबा 14.6834 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 गोचर दर्ज की हुई है। प्रतिवदी ने यह स्पष्ट नही किया है कि खसरा नम्बर 1758 गै0 मु0 गोचर दर्ज कैसे हुयी है। इस आधार का प्रतिवादी में कोई नामान्तरकरण आदि पेश नही किया है, तथा न ही जवाब में स्पष्ट किया है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 1758 रकबा 14.6834 हैक्टेयर गै0 मु0 गोचर दर्ज है। इस कारण प्रतिबंधित भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। प्रतिबंधित भूमि की खातेदारी घोषित नही की जा सकती है। लेकिन वादीगण ने प्रदर्श–3 फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 को पेश किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर भूमि ,खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा का वादीगण का होना बताया है। वादीगण को बिना कोई विधिक प्रकिया के हटाया जाना न्यायोचित नहीं है, इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

:: **आदेश** ::

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवदी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 10 बिस्वा में वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मौके पर से हटाया नहीं जावें। वादी घोषणा खातेदारी का दावा पेश करने हेतु भविष्य मे स्वंतत्र रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसलसुमार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/7/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मेरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. राणाराम पुत्र श्री हिम्मताराम जाति सीरवी , निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
2. भूण्डिया उर्फ भूण्डाराम पुत्र राणाराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगणः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

: दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट :

राजस्व वाद संख्या 42/2021

निर्णय दिनांक 10/7/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी की ओर से सरकारी पेरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया जाकर वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मौके पर से हटाया नहीं जावें। वादी घोषणा खातेदारी का दावा पेश करने हेतु भविष्य मे स्वंतत्र रहेगा। पत्रावली फैसलसुमार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/7/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर